

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-विधि-07-142/2014...../ रॉची, दिनांक :/

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.81 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन/ प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री देव कुमार सिंह जे 5781/17.06.55/ सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला/ 02.02.79	02.02.89	5564/27.08.90	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-
(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर/ कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 8011

रॉची, दिनांक :- 17-09-14

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।